श्रवणकुमार बनाम कृष्णकुमार आदि प्रार्थना पत्र प्र.सं. 41/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08/7/2025	वकुलाए फरिकैन उपस्थित। प्रार्थीगण आरती वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व प्रार्थीगण संजय वगैरह द्वारा जरिये वकील प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया व दूसरी तरफ वकील वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मुताबिक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 7 के स्थान पर उसके वारीसान को तथा अप्रार्थी सं. 18 ता 21 पर आरती वगैरह को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील वादी/प्रार्थी को संशोधित शीर्षक पेश करने की हिदायत दी जाती है। पत्रावली वास्ते तल्बी/जबाब आईन्दा तारीख 13.08.2025 को पेश हो।	
13/8/25	वकुलाए फरिकैन उपस्थित। पत्रावली [illegible] 15/9/2025 [illegible]	
10/9/2025	वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण के निवेदन पर पत्रावली को आज की पेशी में लिया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने वाद को तामीली होने के बाद आपस में राजीनामा कर लिया है। अतः प्रार्थना पत्र में आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है प्रार्थना पत्र 2/12 RTA मेरिट स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नाकरदे कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.09.13 12:07:57 IST
Reason: SelfAttested